



पत्रांक : कु0स0-सम्बद्धता /10594/ विविध आ0-35-2013 / 2016, दिनांक: 0/सितम्बर, 2016

सेवा में,

प्राचार्य / प्रबंधक,
समस्त राजकीय / अनुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

महोदय,

मा0 कुलपति जी द्वारा समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों से अधोलिखित अभिलेख / सूचनाएं विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है:-

1. महाविद्यालय में अग्निशमन व्यवस्था हेतु उपकरण की उपलब्धता के सम्बन्ध में अद्यावधिक अग्निशमन प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ ही मूल प्रति अवलोकनार्थ।
2. महाविद्यालय में सम्बंधित विषय / पाठ्यक्रम हेतु मानकानुसार विषयवार जमा प्राभूत धनराशि की छाया प्रति के साथ ही मूल प्रति अवलोकनार्थ।
3. विश्वविद्यालय के पत्रांक कु0स0-सम्बद्धता / 1330 / वेबसाइट प्रदर्शन / 2011 दिनांक 04 मई, 2011 द्वारा प्रसारित शासनादेश दिनांक 15 अप्रैल, 2011 के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट अपडेट किये जाने सम्बन्धी प्रमाण।
4. महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष 31 अगस्त तक सम्बद्धता की शर्तें पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में रू0 50 / - के फोटोयुक्त नोटरी शपथ पत्र के साथ प्रमाण।

उपर्युक्त सूचना / अभिलेख दिनांक 30 सितम्बर, 2016 तक प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

निर्धारित अवधि में उपर्युक्त सूचना / अभिलेख उपलब्ध न कराने की स्थिति में सम्बंधित महाविद्यालय के समस्त कार्य विश्वविद्यालय द्वारा अवरुद्ध कर दिये जायेंगे जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन / प्रबंधन की होगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. परीक्षा नियंत्रक, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी, चन्दौली, भदोही, मीरजापुर, सोनभद्र एवं बलिया।
5. प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, को इस आशय के साथ कि उपर्युक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

को इस आशय से कि महाविद्यालय द्वारा अभिलेखों के उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सम्बद्धता विभाग से सत्यापन के उपरान्त ही सम्बंधित महाविद्यालय के कार्य को सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव